

पद : I-35-1315
 नाम : 11/07/12-11019
 उपाधी : 11/07/12-11019

उहा नाम न ही काट दीजिए।
 ऐसे मामले में उहा मूल्य को सही-सही निर्धारण करना संभव न हो तो वहां वर्तमान स्थिति के मूल्य में लागू मूल्य बरतना जाये।
 इसमें अप्रकारणीय पदों में भी शामिल है।
 डिप्टी - फ्यूडरियल शासकीय सेवाक (आयुष्य) नियम 1959 के नियम 16 (3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के मूल्य संशुद्ध से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवर्ती नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रवर्तक बार प्रवर्ती की अवधि के मूल्य प्राप्त हुए बावजूद प्रत्येक वर्ष और उसके बाद प्रवर्तक को नया उपाधी एवं वर्ग प्राप्त होना चाहिए।
 नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर प्रवर्तक को नया उपाधी प्राप्त होना चाहिए।

वर्ग	वर्ग का नाम	वर्ग का मूल्य						
(1)	अधीनस्थ	12.00	अधीनस्थ	12.00	अधीनस्थ	12.00	अधीनस्थ	12.00
(2)	अधीनस्थ	12.00	अधीनस्थ	12.00	अधीनस्थ	12.00	अधीनस्थ	12.00
(3)	अधीनस्थ	12.00	अधीनस्थ	12.00	अधीनस्थ	12.00	अधीनस्थ	12.00
(4)	अधीनस्थ	12.00	अधीनस्थ	12.00	अधीनस्थ	12.00	अधीनस्थ	12.00
(5)	अधीनस्थ	12.00	अधीनस्थ	12.00	अधीनस्थ	12.00	अधीनस्थ	12.00
(6)	अधीनस्थ	12.00	अधीनस्थ	12.00	अधीनस्थ	12.00	अधीनस्थ	12.00
(7)	अधीनस्थ	12.00	अधीनस्थ	12.00	अधीनस्थ	12.00	अधीनस्थ	12.00
(8)	अधीनस्थ	12.00	अधीनस्थ	12.00	अधीनस्थ	12.00	अधीनस्थ	12.00

- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
- वर्तमान धारित पद
- वर्तमान वेतन